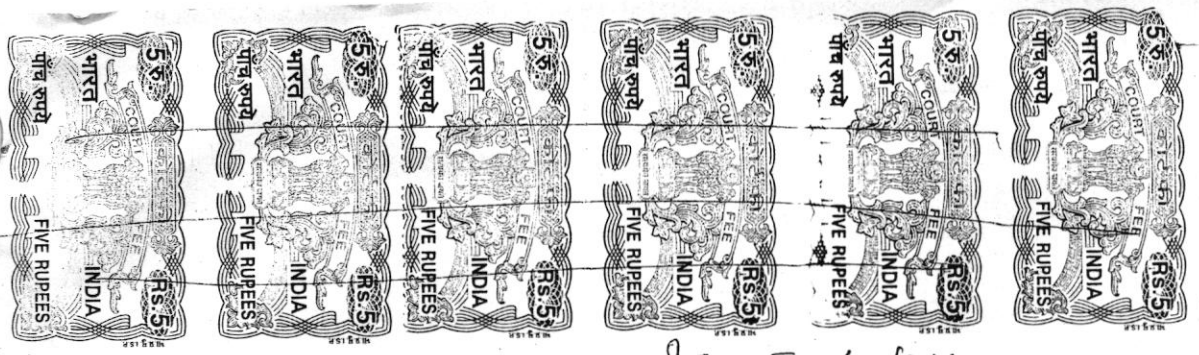

निगरानी प्रकरण 611/2016

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.   / 2016   नि-611-I-16

दिनांक 19-2-16 को श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
19-2-16

लक्ष्मन सिंह पुत्र प्रथ्वीपाल, सिंह आयु–51, साल जाति कुशवाह, निवासी ग्राम वार्ड न. 5 मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

———आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड (म.प्र.)

——अनावेदक

न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, गोहद जिला भिण्ड म्र.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 23 / 2015- 16 / अपील माल में पारित आदेश दिनांक 22 / 01 / 2016 के विरूद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
19-2-2016

माननीय महोदय,

आवदेक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम देहगवां परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 212 रकबा 0.85 हे. एवं सर्वे क्रमांक 214 रकबा 1.35 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 2.20 हे. मंदिर श्री रामजानकी बांके कसबा मौ देहगवां पुजारी हर नारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज [illegible] कास्त करते हुये चले आ रहे है।

Copy Recd
G.A (P)
19.2

2. यहकि, मंदिर की देख रेख एवं मंदिर से लगी हुयी भूमि की खेती का कार्य पुजारी हर नारायण ही करते आ रहे थे। उक्त भूमि पूर्वजो के समय से मंदिर से लगी हुयी भूमि पर पुजारी हरनारायण राजस्व अभिलेख में शासकीय पट्टेदार के रूप में अभिलिखित भूमि स्वामी के रूप में दर्ज चले आ रहे है।

3. यहकि, पुजारी हरनारायण के स्वर्गवास उपरांत मंदिर की देख रेख पूजापाठ एवं मंदिर से लगी हुयी भूमि पर खेती पुजारी हरनारायण का पुत्र हरि[illegible] करता चला आ रहा है। एवं राजस्व अभिलेख में भी शासकीय पट्टेदार के रूप में इन्द्राज दर्ज हो चुका है।

4. यहकि, आवेदक अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कास्त करते हुये काबिज चला आ रहा है एवं आवेदक के विरूद्ध गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा तथाकथित फर्जी शिकायत विद्वान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान तहसीलदार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-611-दो/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 23//2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी ग्राम देहगवां द्वारा रामजानकी मंदिर मौ की ग्राम देहगवां स्थित भूमि खसरा क्र. 212 रकवा 0.85 हे. एवं 214 रकवा 1.35 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 2.20 हे. पर संवत 2072 में पृथ्वीपाल जाति कुशवाह द्वारा अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2016 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश आवेदक को दिए। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा आवेदक का धारा-52 का आवेदन अस्वीकार किया जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाए जाने के आदेश दिए। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा मंदिर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपितु पुजारी द्वारा भूमि पर अधबटाई के आधार पर खेती करने के लिए आवेदकगण को भूमि दी गई थी तदनुसार आवेदक द्वारा भूमि पर खेती कर उपज का आधा भाग पुजारी को दिया जाता रहा है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जब	

3

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आवेदक की प्रथम अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है। तब इसका तात्पर्य यही है कि आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, जब आवेदक क पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तब सुविधा संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। यदि स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया जाता है तब आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन स्वीकार करना चाहिए था। 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण संहिता की धारा-248 का है जो पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभ हुआ है। जिस पर तहसीलदार देहगवां द्वारा आवेदक को विधिवत नोटिस जारी किया जाकर एवं नोटिस का जवाब प्राप्त किया जाकर आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा-52 का आवेदन अस्वीकार किया जाकर अभिलेख मंगाए जाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	